न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 54 / 2025 **दायर दिनांकः 16.06.2025**

उनवान

1. दयाचंद आयु 88 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति कोली निवासी सींधनी जागीर हाल मुकाम सालपुरा स्टेशन कवाई तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव द्वितीय
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 30.10.2025**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी के शामलाती कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एवं माल सींधनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 20 का खसरा नं. 326 का रकबा 1.36 है., खसरा नं. 327 का रकबा 0.38 है., खसरा नं. 328 का रकबा 0.33 है., खसरा नं. 330 का रकबा 0. 38 है., खसरा नं. 331 का रकबा 0.34 है., खसरा नं. 332 का रकबा 0.38 है0 कुल किता 6 का रकबा 3.17 हैक्टर आराजी हिस्सा 5 / 36 दर्ज खाता चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073—2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जो प्रार्थी को उसके पिता स्व. धन्नालाल से विरासत में प्राप्त हुई है, खातेदार धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात आराजी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन से प्रार्थी का नाम दयाचंद के स्थान पर दयानन्द दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि प्रार्थी का सही नाम दयाचंद है जो कि उसके आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन

कार्ड इत्यादि दस्तावेजों में भी दयाचंद नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरुस्त करवा कर अपना नाम दयानन्द के स्थान पर दयाचंद दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थी का नाम कल्याण कर देने से प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थी बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं आदि का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। प्रार्थना पत्र पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थी दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम दयाचंद अंकन करवाने का अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में हो रही त्रुटि को दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल सींधनी जागीर तहसील अटरू जिला बारां में होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम/माल सींधनी जागीर में खाता संख्या 20 की कुल किता 6 का रकबा 3.17 हैक्टर आराजी हिस्सा 5/36 में प्रार्थी का नाम दयानन्द के स्थान पर दयाचंद दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थी ग्राम सींधनी जागीर की खाता संख्या 20 किता 6 कुल रकबा 3.17 है0 में अपना नाम दयानन्द के स्थान पर दयाचंद करवाना चाहता है। अतः रिकार्ड, साक्ष्य एवं सहखातेदारान की सहमति तथा उर्फ लगाते हुए नाम दुरूस्त करने पर अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 दयाचंद पुत्र धन्नालाल जाति कोली निवासी सींधनी जागीर हाल मुकाम सालपुरा स्टेशन कवाई तहसील अटरू व Pw2 रामकन्या बाई पत्नी दयाचंद जाति कोली निवासी सींधनी जागीर हाल मुकाम सालपुरा स्टेशन कवाई तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल सींधनीजागीर सम्वत 2073–76 खाता संख्या 20, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, प्रशासक ग्राम पंचायत कवाई प्रमाण पत्र व जवाब अप्रार्थी का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 20 ग्राम सींधनीजागीर में सहखातेदार प्रार्थी की पत्नी रामकन्या बाई ने भी दयानन्द का नाम दयाचन्द होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल सींधनीजागीर तहसील अटरू की खाता संख्या 20 के ख0नं0 326 रकबा 1.36 है0, ख0नं0 327 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 330 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.34 है0 व ख0नं0 332 रकबा 0.38 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.17 है0 आराजी में सहखातेदार दयानन्द पुत्र धन्नालाल के स्थान पर दयाचंद उर्फ दयानन्द पुत्र धन्नालाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल० आर० एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल सींधनीजागीर तहसील अटरू की खाता संख्या 20 के ख0नं0 326 रकबा 1.36 है0, ख0नं0 327 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 328 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 330 रकबा 0.38 है0, ख0नं0 331 रकबा 0.34 है0 व ख0नं0 332 रकबा 0.38 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 3.17 है0 आराजी में सहखातेदार दयानन्द पुत्र धन्नालाल के स्थान पर दयाचंद उर्फ दयानन्द पुत्र धन्नालाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सालपुरा को भी भिजवायी जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां